संख्या-50/2026/ 908/2026-001-27-10002(002)/14/2025-10

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 25 मई, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में नलकूप वाराणसी परिक्षेत्र में विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों की क्षतिग्रस्त जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार/पुनरोद्धार की 09 परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-909/03-72 जे.पी./फतेहपुर 10 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 11.05.2026, पत्रांक-972/03-72 जे.क्यू./न.ख.-2 प्रयागराज 85 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 11.05.2026, पत्रांक-789/03-72 जे.आर./न.ख.-मीरजापुर 60 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 11.05.2026, पत्रांक-780/03-72 जे.एस./न.ख.-1 वाराणसी 42 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 11.05.2026, पत्रांक-941/03-72 जे.टी./न.ख.-2 बलिया 96 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 11.05.2026, पत्रांक-915/03-72 जे.यू./न.ख.-3 प्रयागराज 97 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 11.05.2026, पत्रांक-785/03-72 जे.वी./न.ख.-1 वाराणसी 88 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 11.05.2026, पत्रांक-914/03-72 जे.डब्ल्यू./न.ख. फतेहपुर 50 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 11.05.2026, पत्रांक-788/03-72 जे.एक्स./न.ख.-चन्दौली 114 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 11.05.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नलकूप वाराणसी परिक्षेत्र में विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों की क्षतिग्रस्त जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार/पुनरोद्धार की निम्न 09 परियोजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4702-102-03-0317-24 ''राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार'' में प्राविधानित धनराशि में से निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 12,74,40,000/- (रूपये बारह करोड़ चौहत्तर लाख चालीस हजार मात्र) व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बजट	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का संदर्भ शासनादेश सं0/ दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a)/गठित अनुबंध की लागत (b)	अनुबंधित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध/पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत (7-9)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में	
										अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	नलकूप खण्ड-फतेहपुर के अन्तर्गत 1.0 क्यूसेक क्षमता के 10 अदद् राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	36.37	105/2025/1845/2025-001-27-10002(002)/14/2025-10, दिनांक 09.12.2025	36.37 (a)/ 30.76 (b)	36.30	0.07	18.19	18.11	94-4702-102-03-0317-24	18.11
2	नलकूप खण्ड-द्वितीय, प्रयागराज के अन्तर्गत 1.5/1.0 क्यू0 क्षमता के गूलों/ पाइप लाइन के 85 अदद् राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण एवं पम्पसेट व इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के प्रतिस्थापन की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	206.29	105/2025/1845/2025-001-27-10002(002)/14/2025-10, दिनांक 09.12.2025	412.58 (a)/ 349.40 (b)	412.29	0.29	206.29	206.00	94-4702-102-03-0317-24	206.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3	नलकूप खण्ड, मीरजापुर के अन्तर्गत 60 अदद् राजकीय नलकूपों (1.5/1.0 क्यूसेक) के जल वितरण प्रणाली पाइप लाइन के जीर्णोद्वार/पुनरोद्वार की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	96.72	105/2025/1845/2025-001-27-10002(002)/14/2025-10, दिनांक 09.12.2025	193.45 (a)/ 163.75 (b)	193.23	0.22	96.73	96.50	94-4702-102-03-0317-24	96.50
4	नलकूप खण्ड-प्रथम, वाराणसी के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में 42 अदद् राजकीय नलकूपों के पक्की गूलों के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	163.21	105/2025/1845/2025-001-27-10002(002)/14/2025-10, दिनांक 09.12.2025	326.42 (a)/ 276.29 (b)	326.02	0.40	163.21	162.81	94-4702-102-03-0317-24	162.81
5	नलकूप खण्ड-द्वितीय, बलिया के अन्तर्गत (1.0/1.5 क्यूसेक क्षमता) के 96 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली (पाइप लाईन) के जीर्णोद्वार/पुनरोद्वार की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	179.80	105/2025/1845/2025-001-27-10002(002)/14/2025-10, दिनांक 09.12.2025	359.61 (a)/ 304.67 (b)	359.51	0.10	179.81	179.70	94-4702-102-03-0317-24	179.70
6	नलकूप खण्ड-तृतीय, प्रयागराज के अन्तर्गत 1.0/1.5 क्यूसेक क्षमता के 97 अदद् राजकीय नलकूपों की जल वितरण प्रणाली (पाइप लाइन) के जीर्णोद्वार एवं पुनरोद्वार की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	183.22	105/2025/1845/2025-001-27-10002(002)/14/2025-10, दिनांक 09.12.2025	366.44 (a)/ 310.42 (b)	366.30	0.14	183.22	183.08	94-4702-102-03-0317-24	183.08
7	नलकूप खण्ड-प्रथम, वाराणसी के अन्तर्गत 88 अदद् राजकीय नलकूपों के पाइप लाइन के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	133.85	105/2025/1845/2025-001-27-10002(002)/14/2025-10, दिनांक 09.12.2025	267.70 (a)/ 226.50 (b)	267.27	0.43	133.85	133.42	94-4702-102-03-0317-24	133.42
8	नलकूप खण्ड-फतेहपुर के अन्तर्गत 1.5 क्यूसेक क्षमता के 50 अदद् राजकीय नलकूपों के गूलों एवं पाइन लाइन के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	93.61	105/2025/1845/2025-001-27-10002(002)/14/2025-10, दिनांक 09.12.2025	223.60 (a)/ 189.39 (b)	223.48	0.12	111.80	111.68	94-4702-102-03-0317-24	93.61
9	जनपद वाराणसी के अन्तर्गत नलकूप खण्ड, चन्दौली के 114 अदद् राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	201.98	105/2025/1845/2025-001-27-10002(002)/14/2025-10, दिनांक 09.12.2025	403.96 (a)/ 341.65 (b)	403.15	0.81	201.98	201.17	94-4702-102-03-0317-24	201.17
कुल धनराधि -											**1274.40**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध-

प्रश्नगत परियोजनाओं/मद में पूर्व में निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेश संख्या-105/2025/1845/2025-001-27-10002(002)/14/2025-10, दिनांक 09.12.2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 यथासंशोधित शासनादेश सं0-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,74,40,000 (रुपये बारह करोड़ चौहत्तर लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001020317 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या- 50/2026/ 908(1)/2026-001-27-10002(002)/14/2025-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(6) मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, वाराणसी।
(7) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(8) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(9) नोडल अधिकारी/अनु सचिव, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।